न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागोर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आरएएस

अपील संख्या 66/2019

1– बजरंग सिंह पुत्र मोहनसिंह
2– मातू सिंह पुत्र मोहनसिंह
समस्त जाति रावणा राजपुत निवासीगण निम्बी जोधा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–नायब तहसीलदार, निम्बी जोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

2–राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी निम्बी कलां तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी,व श्री गोविन्द कड़वा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91(3)बअनुवान सरकार बनाम बजरंग सिंह प्रकरण संख्या 19/2018 न्यायालय नायब तहसीलदार निम्बी जोधा निर्णय दिनांक 28.0219

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक : 15.03.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार निम्बी जोधा के प्रकरण सं0 19/2018 बअनुवान पटवारी हल्का निम्बी जोधा बनाम बजरंग सिंह में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर) राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का निम्बी जोधा ने अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार निम्बी जोधा को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम निम्बी जोधा के खसरा नम्बर 1076 किस्म गैम0मु0 रास्ते की भूमि रकबा 2.09 बीघा मे से 1–02 बीघा पर डोल व बाड़ लगाकर नाजायज अतिक्रमण करने व पश्चातवर्ती कब्जा करने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थीगण द्वारा मौजा निम्बी जोधा के खसरा नम्बर 1076 रकबा 1–02 बीघा किस्म गैर मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रैणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा निम्बी जोधा के खसरा नम्बर 1076 रकबा 1–02 बीघा गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 31/– अक्षरे इकतीस रूपये कायम किया गया। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से अप्रार्थी बजरंग सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बी जोधा को तीन माह सिविल कारावास की सजा के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 19.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 19.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2018/46 दिनांक 07.08.2019 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय का प्राप्त हुई।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(1)–यह है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है कि नायब तहसीलदार निम्बी जोधा द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा जिस भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है एवं जिस पर नायब तहसीलदार निम्बी जोधा द्वारा जुर्माना व बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया हैं जबकी अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हैं।

{3}(5) – यह है कि इस निर्णय से पूर्व में पारित निर्णय के सम्बंध में अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। जो अतिक्रमण बताया गया है, वह राजस्व रेकर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों के गलती के कारण बताया गया , नक्शे में जो रास्ता दर्शाया गया है वह गलत है, पुराने नक्शे में रास्ता अपीलान्ट के खेत के बाहर था जिसे कर्मचारियों द्वारा खेत के अन्दर दर्शा दिया गया तथा मौके पर नाप चौप नहीं किया गया हैं जिससे उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(6) – यह है कि खेत खसरा नम्बर 1686 रकबा 01 बीघा का पुराना खसरा नम्बर 1424 था, ख0 नं0 1424 के दो खसरे बने जिसमें एक तो 1686 रकबा 01 बीघा एवं एक 1493 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा है। इस प्रकार दो खसरे 23 बीघा 14 बिस्वा के बने पूर्व में उक्त खेत 25 बीघा 14 बिस्वा था। इस प्रकार कुल दो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

बीघा रेकर्ड में दर्ज नहीं हो सकी वर्तमान में जिस रास्ते के सम्बन्ध में अतिक्रमी बताया गया वह रास्ता खसरा नम्बर 1424 के बाहर पश्चिमी सींव के बाहर पश्चिमी दिशा की तरफ था, जिसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से पश्चिमी सींव के अन्दर दर्शित कर दिया जबकि वर्तमान में भी मौके पर रास्ता पश्चिमी सींव से बाहर ही है।

{3}(7) – यह है कि अपीलान्ट द्वारा कभी भी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया, पूर्णरूप से मिथ्या पटवारी रिपोर्ट बनाई जाकर राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। जिससे उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(8) -- यह है कि अपीलान्ट के खेत में किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं हैं पूर्व में भी रास्ता बाहर था तथा वर्तमान में भी बाहर ही है। जिससे उक्त आदेश आपास्त किये जाने योग्य है। अतः वकील अपीलान्ट यह भी कथन किया है कि नायब तहसीलदार निम्बी जोधा द्वारा प्रकरण संख्या 19/2018 बअनुवान सरकार बनाम बजरंग सिंह में पारित निर्णय व सिविल कारावास की सजा को माफ करने तथा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

{4} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया है। अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण को निर्णय दिनांक 28.2.2019 को तीन माह का सिविल कारावास व जुर्माना से सजा के निर्णय की जानकारी 17.7.2019 को नकल लेने से हुई है। इससे पूर्व न्यायालय में प्रार्थीगण उपस्थित हुए लेकिन उक्त दिन पी..ओ. साहब नहीं होने से तारीख पेशी आगामी का ज्ञान नहीं हुआ । प्रार्थीगण अनपढ व ग्रामीण व्यक्ति है जिससे आगामी तारीख पेशी की जानकारी नहीं कर पाए। अतः देरी को कन्डोम करने का आदेश पारित किया जावे। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के जो कारण अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में (मियाद अधिनियम) में उललेखित कारण पर्याप्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

सन्तोषजनक प्रतीत होते हैं अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील का अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का निम्बी जोधा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक निम्बी जोधा द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम निम्बी जोधा, के खसरा नम्बर 1076 रकबा 1.02 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता पर डोल व बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है।

अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में विशेष रूप से यह अंकन किया है "कि खेत खसरा नम्बर 1686 रकबा 1 बीधा का पुराना खसरा नम्बर 1424 था। ख0नं0 1424 के दो खसरे बने जिसमें एक तो 1686 रकबा 01 बीघा एवं एक 1493 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा है। इस प्रकार दो खसरे 23 बीधा 14 बिस्वा के बने। पूर्व में उक्त खेत 25 बीघा 14 बिस्वा था। इस प्रकार कुल दो बीघा भूमि रेकर्ड में दर्ज नहीं हो सकी वर्तमान में जिस रास्ते के सम्बन्ध में अतिक्रमी बताया गया है वह रास्ता खसरा नम्बर 1424 के बाहर पश्चिम सींव के बाहर पश्चिमी दिशा की तरफ था जिसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से पश्चिमी सींव के अन्दर दर्शित कर दिया जबकि वर्तमान में भी मौके पर रास्ता पश्चिमी सींव से बाहर ही है।" पत्रावली पर इस कथन के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं न ही अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया है जिससे यह सिद्ध होता होता हो कि ख0नं0 1424 का रकबा पूर्व में 25 बीघा 14 बिस्वा हो। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 10.3.2021 को इस आशय के शपथ पत्र पेश किये है "कि अपील में वर्णित निर्णय के सम्बन्ध में मैं यह शपथ पत्र देता हू कि यदि उक्त रास्ता भूमि में नाप में आयेगा तो मैं उक्त रास्ता खोल दूंगा तथा उक्त रास्ता राजस्व कर्मचारियों अधिकारियो की गलती के कारण नाप में मेरे खेत में दिखाया गया है, जिसके सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के समक्ष में राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती हेतु (मय नक्शा) पेश करने के लिए पृथक से कार्यवाही करूंगा। इस सम्बन्ध में प्रार्थी को स्वयं ही सक्षम न्यायालय में वाद/प्रार्थना दायर कर अनुतोष प्राप्त करना होगा । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को गै0मु रास्ता की भूमि ख0नं0 1076 रकबा 1.02 बीघा पर अतिक्रमण का दोषी माना है जिस दोषसिद्ध में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

है। पटवारी हल्का निम्बी जोधा की रिपोर्ट जिसकी जांच भू0अ0नि0 निम्बी जोधा द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थीगण ग्राम निम्बी जोधा के खसरा नम्बर 1076 रकबा 1.02 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता पर डोल व बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को एक ही नोटिस दिया गया है एवं वे स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए है। उनके द्वारा श्री मुमताज खान एडवोकेट ने अपना वकालतनामा भी पेश किया है लेकिन जवाब पेश नहीं किया। न्यायालय उप तहसीलदार निम्बी जोधा ने अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह की सिविल कारावास की सजा दी है लेकिन पत्रावली पर न तो पटवारी हल्का के बयान लिए गए है एवं न ही पूर्व पत्रावली जिससे अपीलार्थीगण को बेदखल किया गया था उसका उल्लेख निर्णय में किया गया है। अपीलार्थीगण को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया किन्तु उन्हे उपयुक्त प्रकार से उनके दोष का उललेख करते हुए नोटिस नही दिया गया है जिससे उनको बचाव का उपयुक्त अवसर नहीं मिला है। यह न्यायालय उप तहसीलदार निम्बी जोधा द्वारा अपीलार्थीगण को जारी नोटिस से स्पष्ट है कि उसमें पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो अपीलार्थीगण को एक ही नोटिस जारी किया है जबकि दोनों को पृथक पृथक नोटिस जारी करने थे।

:::: आदेश ::::

अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए योग्य नायब तहसीलदार निम्बी जोधा के निर्णय दिनांक 28.2.2019 के जरिये की गयी बेदखली की दोष सिद्धि एव अर्थदण्ड को यथावत रखा जाता है किन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार स्वयं मय टीम यह सुनिश्चित कर लेवें कि वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण ने अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा उन्होने राजहक में उक्त कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा भविष्य में पुनः इस रास्ते की भूमि पर अपीलार्थीगण कब्जा नहीं करगें इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है और इन सब तथ्यों बाबत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

नायब तहसीलदार इस प्रकरण से सम्बन्धित अपनी पत्रावली से आदेशिका उल्लेखित करने के उपरान्त अपीलार्थीगण की सजा स्थगित रख सकेगें। यदि अपीलार्थीगण द्वारा एक मांह में उपरोक्त शर्तो की पालन नहीं की जाती है तो नायब तहसीलदार इस निर्णय से स्थगित की गयी सजा को प्रभावी मानकर अपीलार्थीगण को नियमानुसार सजा भुगताएगा तथा अपीलार्थीगण की अपील पूर्णरूप से खारीज मानी जायेगी एवं सजा यथावत रहेगी। अपीलार्थीगण दिनांक 16.4.2021 को न्यायालय नायब तहसीलदार निम्बी जोधा में उपस्थित हो। पत्रावली निर्णित कुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)